पत्रांक –10/न 4–10/2004 मा0.........../–
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,
श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,
श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक 24-5-07

विषयः– मानस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, दक्षिणी, धरमपुर, जिला–जहानाबाद, बिहार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति पत्र के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मानस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, कोर्ट ऐरिया, जहानाबाद को पूर्व में विभागीय पत्रांक–357 दिनांक– 24.06.05 के द्वारा अनापत्ति निर्गत किया गया था। उक्त विद्यालय के द्वारा विभाग को आवेदन दिया गया है कि उनका विद्यालय कोर्ट एरिया, जहानाबाद से अपनी भूमि दक्षिणी, धरमपुर, जिला– जहानाबाद में निर्मित भवन में स्थानान्तरित होकर संचालित है। विभागीय अधिसूचना संख्या– 238 दिनांक–03.04.06 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा पूर्ण स्थिति उपलब्ध करायी है। उपलब्ध कागजातो की समीक्षा की गयी है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है।

1. विद्यालय का संचालन रमुना सिंह पानपति मेमोरियल एडुकेशनल वेलफेर एंड चैरिटेबुल ट्रस्ट, जहानाबाद के द्वारा संचालित किया जाता है। न्यास के शासी निकाय की सूची दी गयी है, जिसमें उनका पेशा और पता अंकित है। यह भी सूचना दी गयी है कि शासी निकाय में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नही है तथा उनके बीच आपस का संबंध भी नहीं है।
2. विद्यालय ने किसी अन्य निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में स्थापित नही होने अथवा किसी अन्य सोसाईटी/ट्रस्ट/संस्था द्वारा संचालित विद्यालय के Brand name का उपयोग नही करने का दावा किया है ।
3. विद्यालय को निबंधित लीज के माध्यम से 60 वर्ष के लीज पर 3 एकड़ 4 डिसमिल भूमि उपलब्ध है, जिसपर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदंड के अनुरूप विद्यालय भवन निर्मित होने का दावा किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली अपनी निरीक्षण दल से विद्यालय का स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, विद्यालय को सम्बद्धता देगी।
4. विद्यालय में प्रचार्य सहित 14 शिक्षक होने का दावा किया गया है और यह भी सूचना दी गयी है कि उनकी नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है, परन्तु इस संदर्भ में कोई सूचना नही दी गयी है कि उनकी अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदंडो के अनुरूप है या नही क्योकि 14 शिक्षकों में केवल 9 ही प्रशिक्षित बताया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि शिक्षको की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया अपनाकर की गयी हो।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय के द्वारा निर्धारित टयुशन शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक करने पद सहमती दी गयी है। यह भी सूचना दी गयी है कि इसे सूचना पट पर निकाला जायेगा तथा शिक्षक/अभिभावकों की बैठक में प्रस्तुत कि

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष हो होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार विभागीय अधिसूचना में उल्लेखित अनिवार्य /आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । विद्यालय को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तों के आधार पर पूर्व में विभागीय ज्ञापांक–357 दिनांक–26.06.05 के क्रम में मानस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, दक्षिणी, धरमपुर, जिला–जहानाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवेदन दिनांक 30.04.07 की छायाप्रति संलग्न है ।

अनुलग्नक –यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 410

पटना, दिनांकः– 24-5-07

प्रतिलिपि – प्राचार्य, मानस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, दक्षिणी, धरमपुर, जिला–जहानाबाद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/07

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा